



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02072026-274028
CG-MH-E-02072026-274028

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3314]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/आषाढ 4, 1948

No. 3314]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 24 जून, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20A के तहत

का.आ. 3448(अ). — केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के वर्धा, जिला में "भुसावल-बडनेरा-वर्धा 3rd और 4th लाईन (313 किलोमीटर)" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपजिलाधिकारी (भूसंपादन) विपाविम, वर्धा, महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों कि सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और हितवद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

अधिसूचना								
परिशिष्ट'अ								
रेल्वे सुधारित अधिनियम 1989 आणि भूसंपादन रेल्वे (सुधारणा) कायदा 2008 कलम 20 (अ) अनुसार वर्धा - बडनेरा तीसरी चौथी रेल्वे मार्ग								
अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गावाचे नाव	तालुका	भूधारकाचे नाव	सह क्रमांक	भूधारणा पट्टा	7/12 प्रमाणे एकूण क्षेत्र (हे.आर.)	संपादन करावयाचे क्षेत्र (हे.आर.)
1	15/एलएम्बू-47/2025-26	हिवरा	देवळी	डॉ मुकेश गोविंदराम सुखीजा	171	1	0.33	0.1191
						कुल	0.3300 (हे.आर.)	0.1191 (हे.आर.)

[फा. सं. G197/BSL-BD-WR 3rd & 4th/Hiwara VIg/20A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Central Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 24th June, 2026

Under clause 20A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 3448(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (11 of 2008)), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **“Bhusawal-Badnera-Wardha 3rd & 4th Line (313 Kms)”** in the district of **Wardha** in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Dy. Collector (Land Acquisition), VIDC, Wardha**, Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Notification								
Appendix A								
Wardha-Badnera 3rd & 4th Railway line as per section 20 (A) of Railways Amendment Act 1989 and Land Acquisition Railway (Amendment) Act 2008								
Sr. No.	Land Acquisition Case No.	Village Name	Tahsil	Name of Landholder	Survey No.	Land holding practices	Total area as per 7/12 (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)
1	15/LAQ-47/2025-26	Hiwara	Deoli	Dr Mukesh Govindram Sukhija	171	1	0.33	0.1191
						Total	0.3300 (Ha.)	0.1191 (Ha.)

[F. No. G197/BSL-BD-WR 3rd & 4th/Hiwara VIg/20A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)